

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान




बाबुलाल पुत्र बोंदुराम जाति कुम्हार
सा. खारड़िया तह. नावां

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार वगै.
सा. खारड़िया तह. नावां

किस्म मुकदमा :53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 213 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
22.12.2023	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.01.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p>	
31/1/24	<p>पत्रावली वादी द्वारा उपपत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई वादी ने उपपत्र पेश कर निवेदन किया कि इवत पत्रावली में उपपत्र का काल के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए इवत वाद पत्र को भागी नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए पत्रावली भाज ही तलब कर अटिफे विट्रोल खोजि किया जावे।</p> <p>अतः वादी के निवेदन पर वादी का वाद पत्र अटिफे विट्रोल खोजि किया जाता है। पत्रावली के मूल गुमात हुकर नम्बर से कम ही व दालिम दप्तर ही है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	<p>बाबुलाल</p> <p style="text-align: right;">  इवत </p>

